



2026:AHC:163085

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26195 वर्ष 2026

रिज़वान

.....आवेदक(गण)

बनाम

यूपी

राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: शम्स उज़ ज़मान

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: आदेश कुमार, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शम्स उज़ ज़मान, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आदेश कुमार और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री इमरान खान की बात सुनी गई।
2. यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 187 सन् 2026 में धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 103(1), 352, 351(3) और 115(2) बी.एन.एस. और धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना - सरधना, जिला - मेरठ के तहत मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में है, लेकिन आवेदक के साथ-साथ नौ अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है और सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है।
4. इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि यद्यपि यह दोहरी हत्या का मामला है और इस घटना में पांच लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुल दस नामजद अभियुक्त हैं और सभी अभियुक्तों के खिलाफ केवल सामान्य और व्यापक आरोप लगाए गए हैं, प्रथम दृष्टया यह अति-दोषी ठहराने का मामला प्रतीत होता है।
5. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक ने कथित घटना में कभी भाग नहीं लिया, लेकिन चूंकि उनके पिता भी इस मामले में अभियुक्त हैं, इसलिए उन्हें भी उनके और अन्य लोगों के साथ अभियुक्त बनाया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उन्होंने आगे यह भी कहा कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और इस मामले में वह 26.3.2026 से, यानी चार महीने से अधिक समय से जेल में हैं !

7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ताकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि यह दोहरे हत्याकांड का मामला है और कथित घटना में दो मृतकों के अलावा, पांच लोग घायल भी हुए हैं और उन्होंने आवेदक का नाम स्पष्ट रूप से बताया है और उनके बयानों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

8. उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई और पांच व्यक्ति घायल हुए, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह अति-आक्षेप का मामला है।

9. उन्होंने आगे यह भी कहा कि वर्तमान मामले में भी आवेदक 26.3.2026 से ही जेल में है। अतः उन्होंने निवेदन किया कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है।

11. यह दोहरे हत्याकांड का मामला है और कथित घटना में पांच लोग घायल भी हुए हैं। इसके अलावा, आवेदक का नाम भी एफ.आई.आर. में दर्ज है और घायल व्यक्तियों ने भी उसका नाम बताया है।

12. इसके अलावा, हालांकि, एफ.आई.आर. में आवेदक के साथ नौ अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है और सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कथित घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई और पांच व्यक्ति घायल हुए, प्रथम दृष्टया यह अति-आक्षेप का मामला प्रतीत नहीं होता है।

13. इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कथित घटना में पांच लोग घायल भी हुए थे, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और साथ ही सूचनाकर्ताकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क कि उनकी गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, को भी इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

14. इसके अलावा, वर्तमान मामले में भी आवेदक 26.3.2026 से ही जेल में है।

15. इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

16. तदनुसार, यह जमानत आवेदन **खारिज** की जाती है।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की विचारण के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

5 अगस्त, 2026

एसकेएम

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।